

20.3.25

वकील उर्ध्वी उप-डिप्टी कमिश्नर इन्तकाल स्वीकृत  
होना कलापा। उर्ध्वी - पत्र के कार्याधी शेष नहीं  
होने पर उर्ध्वी - पत्र स्वीकृत किया जाता है। पत्रावली  
नंबर से कार्याधी दागील देफता हो।

आदेश ले इजलाह हुमादा गया।

उपखण्ड अधिकारी  
सूरतगढ़ (राज.)

GCMs  
2024/287

